

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(105/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं./ 5430

दिनांक 28-03-2023

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषय:- Land for extension of Bhamashah Krashi Upaj mandi Samiti
Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/Others/20036/2016)

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 1541 दिनांक 14.03.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में एन0एफ0एल/डी0एफ0एल0 की योजना 500 पौधें एवं 700 पौधें के अनुसार प्रस्तुत की गयी है जबकि स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में गैर वन भूमि पर 400 एवं पारिभ्रमित वन भूमि पर 700 पौधें लगाया जाना अंकित किया गया है जो विरोधाभासी है।
2. मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन नहीं की गयी है।
3. मुख्य वन संरक्षक द्वारा अभिशंषा पत्र ऑनलाईन संलग्न नहीं किया गया है।
9. मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया गया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रकरण में ग्रीन बैल्ट से बाहर करने हेतु दिनांक 19.12.2022 को आवेदन किया गया है आवेदन की प्रति संलग्न नहीं है एवं इस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट आपकी टिप्पणी के साथ संलग्न की जानी है।
10. लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 01.08.2017 अनुसार नवीन निर्देशो एवं नवीन दरों पर नहीं बनाया गया है।
11. यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट I में मात्र अणतपुरा में 96 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन को प्रस्तावित की गयी है जबकि उक्त भूमि अणतपुरा में 72.34 है0 एवं उम्मेदगंज में 23.66 है0 वन भूमि प्रस्तावित है, ऑनलाईन संशोधन अपेक्षित है।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(105/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं./ 5431-32

दिनांक 28-03-2023

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, कोटा
2. Krishi Upaj Mndi Samity, Kota, Rajasthan-324005

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर